

झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-53/2017-18/1278 (किमा) /मत्स्य, राँची, दिनांक 06/16/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-
विषय-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।
चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनांतर्गत मत्स्य विपणन योजना के तहत बजट शीर्ष 2405-मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि मो० 150.00 लाख रू० मात्र के अधीन मो० 149.988 लाख (एक करोड़ उन्चास लाख अठानवे हजार आठ सौ) रू० मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०-49 रा० (विभाग) दिनांक 04.12.2018 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं० 1607 दिनांक 04.12.2018 तथा राज्यादेश सं०-66 रा० (विभाग) दिनांक 08.03.2019 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं० 2380 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट शीर्ष -2405-मछली पालन अन्तर्गत कुल मो० 149.988 लाख (एक करोड़ उन्चास लाख अठानवे हजार आठ सौ) रू० मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में मत्स्य विपणन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य विक्रेताओं को चिन्हित कर हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के विपणन हेतु उपकरण एवं विपणन/परिवहन इकाई के रूप में अनुदान पर मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल, एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान तथा CIFT द्वारा अनुशासित तकनीक के क्रियान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की योजना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

मॉग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन(राशि लाख रू० में)

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S240500101500323	76.55	76.55	0.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप	20.48	20.468	0.012

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

	शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S240500789500323			
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S240500796500323	52.97	52.97	0.00
	योग :	150.00	149.988	0.012

मो10 एक करोड़ उन्चास लाख अन्ठानवे हजार आठ सौ रू0 मात्र।

3. इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मछली बेचने वाले मत्स्य विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के प्रसंस्करण/विपणन/परिवहन इकाई हेतु अनुदान पर आवश्यकता अनुसार मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण दिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान तथा CIFT द्वारा अनुशासित तकनीक के क्रियान्वयन हेतु राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यदेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तर पर इस प्रयोजनार्थ एक कमिटी गठित की जायगी जिसमें विभाग स्तर के एक पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में होंगे। उक्त कमिटी द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त/अनुशासित ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल के प्रस्तुत फोटोग्राफ एवं स्पेशिफिकेशन आदि के आधार पर उपयुक्त मॉडल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को दिये जाने वाले उपकरणों का मॉडल अनुमोदन भी इस कमिटी द्वारा ही किया जायेगा।

5. इस योजना के तहत अनुदान पर दिये जाने वाले ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल, मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क इत्यादि के दर में एकरूपता के लिए दर का निर्धारण निदेशक, मत्स्य के द्वारा नियमानुसार "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से किया जायेगा। निर्धारित दर के आलोक में पूरे राज्य में क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

6. (क) शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं/झास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क (लगभग 3-4 टन क्षमता के पिक-अप वैन के उपर फैंब्रिकेटेड) दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो10 10.00 लाख रू0 मात्र होगा। इसमें विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत होगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा।

(ख) मत्स्य विक्रेताओं/झास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु ऑटो-रिक्शा (लगभग 1.0 टन क्षमता) एवं ई-रिक्शा (लगभग 400-500 कि0 ग्रा0 क्षमता) अनुदान पर दिया जायगा।

प्रति ऑटो-रिक्शा में विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 1.80 लाख रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा।

प्रति ई-रिक्शा विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 80 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.60 लाख रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। ई-रिक्शा में रिमॉडलिंग के व्यय सहित शेष राशि लाभुक के द्वारा भुगतान



 2

किया जायेगा। विपणन हेतु अनुदान पर दिये जाने वाले सभी वाहनों के निबंधन एवं बीमा का व्ययभार लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। स्टॉल एवं अन्य उपकरणों का क्रय लाभुक द्वारा किया जायेगा।

(ग) शहरी क्षेत्र के (प्रखण्ड स्तर तक) मत्स्य विक्रेताओं को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु स्टॉल दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो0 40,000/-रु0 मात्र होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग कोटि के लाभुक का अंशदान कुल लागत में 5 प्रतिशत तथा अन्य कोटि के लाभुकों का 10 प्रतिशत होगा।

(घ) खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अधिकतम 5,000/-रु0 मूल्य के उपकरण अनुदान पर देय होंगे जिनमें लाभुक का अंशदान 5 प्रतिशत होगा।

(ड.) एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची द्वारा यथा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित कमिटी से लाभुकों का चयन कराते हुए प्रति लाभुक अधिकतम मो0 1.00 लाख रु0 का उपकरणों के रूप में अनुदान कुल 6 लाभुकों के रंगीन मछली/एक्वेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा जिसपर विभागीय योजना का नाम अवश्य अंकित किया जाएगा। शेष मो0 4.00 लाख रु0 मात्र का उपयोग सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र, राँची में कॉमन फॅसिलिटी सेन्टर की साज-सज्जा के लिए किया जाएगा।

(च) CIFR द्वारा अनुशसित तकनीक के क्रियान्वयन एवं प्रदर्शन-प्रशिक्षण हेतु राशि मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची द्वारा व्यय की जाएगी। इसकी कार्य योजना का अनुमोदन यथा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित कमिटी से कराया जाएगा।

7. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. मोबाईल फिश रिटेलिंग क्रियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण के लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे -

- (i) जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
- (ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
- (iii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
- (iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (vi) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। साथ ही चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. उपर्युक्त कंडिका-7 के मत्स्य लाभुकों/विक्रेताओं का चयन निम्न आधार पर किया जाएगा-

- (i) संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।
- (ii) आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।

(iii) आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।

(iv) आवेदक मत्स्य विपणन कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।

(vi) आवेदक महिला समूह का सदस्य हो अथवा महिला समूह द्वारा आवेदन किया गया हो।

उपर्युक्त किसी कोटि से आच्छादित आवेदक, आवेदन देने हेतु योग्य होगा बशर्ते अपने अंशदान की राशि लगाने में सक्षम हो।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के क्रमांक एवं विभाग तथा योजना का नाम को स्टॉल तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से स्टॉल/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

11. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III' के रूप में संलग्न है। जिलावार भौतिक लक्ष्यों में आंशिक परिवर्तन निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव द्वारा किया जा सकेगा।

12. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

13. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

14. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

15. इस योजना का विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराने की जवाबदेही निदेशक, मत्स्य की होगी।

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

17. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

18. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

19. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत बजट मो० 400.00 लाख में से मो० 357.26 लाख रु० मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

20. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है। दो मछली बाजारों के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका तथा देवधर को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है।

21. विषयगत योजना अंतर्गत सामगियों के क्रय में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन




(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 श० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 06/6/2019


प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 श० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 06/6/2019


प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 श० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 06/6/2019


प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 श० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 06/6/2019

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव



वित्तीय वर्ष 2019-20 में मत्स्य विपणन योजना अर्थात् लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन में विलावार भौतिक लक्ष्य (सं० में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)

परिशिष्ट '1'

क्र०	जिला का नाम	मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोरक हेतु अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		एकवैयम शॉप/रांजिन मछली दुकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान		मत्स्य विपणन स्टॉल/डेली के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं०		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण		CIFT द्वारा अनुभासित तकनीक के कियानव्ययन हेतु राशि		कुल वित्तीय लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	हजारीबाग	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	3	1.14	5	0.2375	0.0000	4.7775				
2	रामगढ़	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	3	1.14	5	0.2375	0.0000	3.1775				
3	कोडरमा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	2.5975				
4	बोकारो	1	6.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	10.3975				
5	धनबाद	1	6.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	2.5975				
6	चतरा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	2.5975				
7	गिरिडीह	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	2.5975				
8	देवघर	1	6.00	2	3.60	2	3.20	0	0.00	10	3.80	21	0.9975	0.0000	17.5975				
9	गोड्डा	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	4.3975				
10	पलामू	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	2.7975				
11	शुआबा	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000	2.7975				
12	मॉडिकोशोकेंद्र, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.0000	10.0170	10.0170				
13	लुन्सिया, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.00	0	0.00	0	0.0000	0.0000	4.0000				
	उप योग	3	18.00	9	16.20	8	12.80	4	4.00	32	12.16	71	3.3725	10.0170	76.550				

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझे।

(कुल मोंड विहत्तर लाख पचपन हजार रु० मात्र)

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-महती पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															कुल वित्तीय व्यय					
		मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड कियेस्क हेतु अनुदान (60%)	भौतिक	वित्तीय	महती परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)	भौतिक	वित्तीय	महती परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)	भौतिक	वित्तीय	एक्सेसिभ शीर्ष/रसीन उपकरण हेतु अनुदान	भौतिक	वित्तीय	स्टार/डेरा के लिये अनुदान	भौतिक	वित्तीय		खुरा मत्स्य शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	खुरा मत्स्य शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	खुरा मत्स्य शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	कुल मत्स्य शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	कुल मत्स्य शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	रौंची	1	6.00	2	3.60	1	1.60	0	0.00	3	1.140	8	0.380	0.000	12.720							
2	खुंटी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.998							
3	गुमला	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.998							
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238							
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238							
6	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238							
7	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.760	6	0.285	0.000	2.645							
8	चाईबासा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.998							
9	सरयकेला	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	4.398							
10	टुमका	1	6.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	10.398							
11	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	1.838							
12	साहेबांज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238							
13	पाकुड़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.998							
14	मोकिका0510केन्द्र, रौंची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0.000	10.032	10.032							
15	अनुसंधान, रौंची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	6.00	0	0.000	0	0.000	0.000	6.000							
उप योग		2	12.00	4	7.20	5	8.00	6	6.00	17	6.460	69	3.2775	10.032	52.970							

नोट - वित्तीय लक्ष्य को अचूक नहीं समझे।

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

(कुल मो0 बावत लाख संतानदे हजार रु0 मात्र)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405 मखली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन		मत्स्य विपणन स्टाफ/डेगा के लिये अनुदान		शुद्ध मत्स्य विक्रेताओं की सं0	कुल वित्तीय तक्ष (लाख रु0 में)			
		मखली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)	मखली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)	मत्स्य विपणन स्टाफ/डेगा के लिये अनुदान	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं के अनुदान पर उपकरण					
		शैतिक	वित्तीय	शैतिक	वित्तीय					
1	रंथली	0	0.00	1	1.60	0	0.00	10	0.475	2.075
2	खूटी	1	1.80	1	1.60	0	0.00	0	0.000	3.400
3	गुमला	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.000	1.800
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	1	0.38	5	0.238	0.618
6	पलामू	0	0.00	1	1.60	0	0.00	5	0.238	1.838
7	लतियार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
8	गाढवा	0	0.00	1	1.60	0	0.00	3	0.143	1.743
9	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
10	चाईबासा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
11	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
12	हजारीबाग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
13	रामाढ़	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.000	1.600
14	कोडरमा	1	1.80	0	0.00	1	0.38	5	0.238	2.418
15	बोकारो	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.000	1.800
16	धनबाद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
17	चतरा	1	1.80	0	0.00	0	0.00	0	0.000	1.800
18	गिरिडीह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
19	देवघर	0	0.00	0	0.00	1	0.38	6	0.238	0.635
20	दुमका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
21	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
22	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
23	पाकुड़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
24	गोड्डा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
	कुल योग	5	9.00	5	8.00	3	1.14	49	2.328	20.468

नोट - वित्तीय तक्ष को आंदोलन नहीं समझे।

(कुल मो10 बीस लाख विधायक हजार आठ सौ रु0 मात्र)

सरकार के सचिव
(पुष्पा सिंघत)